अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
आवेदन संख्या 107/2018 (2018/00314)

प्रार्थीगण :–

1. श्रीमति भुवनेश्वरी देवी पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी।
2. श्रीमति प्राची पत्नी देव जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुचामनसिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मौ0 हनीफ

दिनांक 11/07/2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी एवं अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं0 181 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 182 रकबा 4.53 है0 व खसरा नं0 183 रकबा 1.13 है0 में से 0.20 है0 व खसरा नं0 189 रकबा 1.20 में से 0.22 है0 आयी हुई है, जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

उक्त कृषि भूमि के संबंध में दिनांक 21.07.2017 को तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./1185 दिनांक 14.07.2017 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर फर्द मौका बनी हुई जिसमें प्रार्थीगण के हक अधिकारो की कृषि भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर कुचामनसिटी के न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं0 101/2016 बअनुवान भुवनेश्वरी बनाम पीथाराम वगैरह में दिनांक 22.11.2017 को जारी की जाकर राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों में अमलदरामद की गयी है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि संलग्न चालू जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार खसरा नं0 181 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 182 रकबा 4.53 है0 व खसरा नं0 183 रकबा 1.13 है0 में से 0.20 है0, खसरा नं0 189 रकबा 1.20 है0 में से 0.22 है0 कृषि भूमि की पत्थर गढी (नेखमबंदी determination of boundarties) किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का निवेदन है कि खसरा नं0 181 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 182 रकबा 4.53 है0 व खसरा नं0 183 रकबा 1.13 है0 में से 0.20 है0 व खसरा नं0 189 रकबा 1.20 है0 में से 0.22 है0 राजस्व विभाग कर्मचारियों के माध्यम से पत्थरगढी (determination of boundarties) के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर शामिल मिसल है। दिनांक 10.07.2018, को अप्रार्थीगण गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी रेकर्डड

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार है तथा ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं0 181 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 182 रकबा 4.53 है0 व खसरा नं0 183 रकबा 1.13 है0 में से 0.20 है0 व खसरा नं0 189 रकबा 1.20 है0 में से 0.22 है0 में अपनी खातेदारी की पत्थरगढी कराना कानून उचित है इसलिये पत्थरगढी कायम करने के आदेश फरमावें।

वकील प्रार्थी की बहस का मनन एवं प्रार्थी की प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतौनी सम्वत 2073–76, फर्द सीमाज्ञान का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नं0 183 व 189 से 1201/183 व 1202/189 संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से न्यायालय का मत है कि प्रार्थी रेकर्डड खातेदार है तथा सीमाज्ञान होकर फर्द मौका रिपोर्ट शामिल मिसल है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का कानूनन हकदार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं0 181 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 182 रकबा 4.53 है0 व खसरा नं0 1201/183 रकबा 0.20 है0 व खसरा नं0 1202/189 रकबा 0.22 है0 पर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार पक्षकारान के रूबरू पत्थरगढी कराकर रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 11/07/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

(रामसुख गुजर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)